महिलाओं के विधिक अधिकारों के संबंध में
(With respect to the legal rights of women)

डॉ. पूनम अग्रवाल

एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा विभाग,
धर्म समाज कॉलेज, अलीगढ़

प्रस्तावना :

सामान्यतया जो भी प्रचलित कानून है, वे बतौर नागरिकों के महिलाओं को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक कानून से उत्पन्न अधिकार एवं कर्तव्य महिलाओं केा भी प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन जिन विधिक प्रावधानों से वास्ता पड़ता है। फिर भी उन विषयों, कानूनों, जिनके तहत महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है, अथवा उनके अधिकारों को संरक्षित किया गया है, उनकी भी कुछ संक्षिप्त जानकारी होना आवश्यक है।

व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत यथा हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि, पारसी विधि इत्यादि में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार दिये गये हैं।

1. विवाहित महिलाओं के साथ पति द्वारा मानसिक अथवा शारीरिक क्रूरता का व्यवहार करने पर महिलाओं को अपने पित से इसी बिन्दु पर विवाह विच्छेद करने का अधिकार है।
2. यदि पति द्वारा दाम्पत्य जीवन में निष्ठा नहीं रखी जाती है अथवा पति द्वारा बिना किसी उचित कारण के दो वर्ष से अधिक अवधि तक पत्नी को परित्यक्त कर रखा हो।
3. जिस धर्म का हो, उस धर्म का परित्याग कर दिया हो।
4. ऐसे मानसिक विकार का रोगी हो गया हो, जिसका इलाज संभव न हो, जिसके कारण पत्नी से युक्ति–युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती हो कि वह पति के साथ रहे, संक्रामक यौन रोग HIV से ग्रस्त हो गया हो।
5. गृहस्थ जीवन का परित्याग कर साधु सन्यासी बन गया हो।
6. 7 वर्षों से अधिक अवधि तक उसके जीवित होने के बाबत पता नहीं चला हो।
7. पति द्वारा प्रथम पत्नी के मौजूद होते हुए दूसरी शादी कर ली गई हो (इस्लाम धर्म के मानने वालों को छोड़कर) ऐसे मामलों में भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है।
8. ऐसे मामलों में जहॉ पति को विवाह सम्पन्न होने के पश्चात बलात्कार, अयुक्त संभोग का दोषी करार दिया।
9. जहॉ लड़की की शादी 15 वर्ष की आयु से पूर्व कर दी गई हो तथा ऐसी पत्नी को 15 वर्ष की होने पर 18 वर्ष की होने के पूर्व तक ऐसी शादी को परित्याग करने के अधिकार भी विधि के अन्तर्गत

दिये गये हैं।

10. यदि पति और पत्नी शादी होने के बाद एक वर्ष से अधिक अवधि तक अलग रह रहे हो तो किसी प्रकार के मतभेद के कारण उनका जीवन निभाना संभव न हो, तो संयुक्त रूप से सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद कराया जा सकता है।

पतिद्वारा पत्नी के द्वारा विवाह सम्पत्ति में भी पत्नी को अधिकार विधि के अंतर्गत स्त्रीधन प्राप्त है। प्रत्येक महिला को अपने व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। हिन्दू संयुक्त सम्पत्ति के विभाजन के समय भी वह अपने हिस्से की मांग कर सकती है। संयुक्त सम्पत्ति का विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकती है।

Guardianship संरक्षता के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि की नवीनतम व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि पिता के रहते हुए भी माता को अपने बच्चों की संरक्षता का अधिकार है। और वह पिता के मौजूद रहते हुए बतौर संरक्षक बच्चों के हितों की देखभाल कर सकती है। संरक्षकता के मामले में बच्चों की उचित देखभाल एवं लालन–पालन को विशेष महत्व दिया गया है।

दत्तक ग्रहण करने के मामले में विधि द्वारा पूर्व से चले आ रहे भेद–भाव को समाप्त कर दिया गया है, जहां व्यक्तिगत विधि में दत्तक संतान लेने का प्रावधान हो, वहां अब लड़कियों को भी दत्तक ग्रहण किया जा सकता है तथा विधवा महिलाओं को तथा अविवाहित महिलाओं को भी दत्तक संतान लेने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद करने की मनाही है। इसी प्रकार सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विधि द्वारा अनुमत कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, परन्तु संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार बेमानी हैं, जब तबकि इन अधिकारों का उपयोग करने के लिये आवश्यक परिस्थितियां एवं परिवेश नहीं हो। महिलाएं पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर प्रगति कर रही हैं एवं राजकीय सेवाओं में 33.3% प्रवेश लिया है।

प्राईवेट संस्थाओं में भी महिलाएँ कार्यरत हैं व अन्य सामाजिक संस्थाओं में भी महिलाएँ कार्यरत हैं व स्थानीय निकायों में भी महिलाओं ने प्रवेश कर सामाजिक सेवा कर रही हैं। परन्तु इन सब महिलाओं को या कुछ महिलाओं को समय–समय असुविधाजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है तथा कार्य का माहौल तथा परिवेश उनके सम्मानपूर्वक कार्य करने के अनुरूप नहीं होता है। इस संबंध में हालांकि भारत सरकार द्वारा चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में आवश्यक विधि बनाने का आश्वासन दिया है, जो महिलाओं के अधिकारों के अनुरूप होगा, परन्तु इस पर आवश्यक विधि नहीं बनने तक, महिलाएँ दिन–प्रतिदिन कार्यस्थल पर असुविधाजनक परिस्थितियों से रूबरू होती रही। ऐसे मामले समाप्त करने के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **''विशाखा बनाम राजस्थान राज्य''** के प्रकरण में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो इस संबंध में किसी विधि के बनने तक विधि का स्थान रखते हैं। वर्तमान परिवेश में दीवानी व फौजदारी विधि में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये आवश्यक प्रावधान नहीं है।

1. ऐसी स्थिति में अब प्रत्येक नियोजक अथवा नियोजक के यहां ऐसे किसी उत्तरदायी व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह अपने संस्थान में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये।

2. इस उद्देश्य के लिये यौन उत्पीड़न में वे सब कृत्य शामिल किये गये हैं, जिसके द्वारा महिलाओं को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाये अथवा उससे अनुचित यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिये मांग या आग्रह किया जाये या ऐसी कोई फब्ती जो महिलाओं को असुविधाजनक स्थिति में डालती हो, की जावे।
3. अश्लील साहित्य महिलाओं को दिखाया जाये, अश्लील इशारा किया जाये, ऐसा कोई भी आचरण जो महिला की उपस्थिति में किया जाये एवं ऐसे आचरण से पीड़ित महिला सुरक्षित न हो, भले ही कार्य करने वाली महिला वहॉ वेतन पर कार्य कर रही हो अथवा स्वेच्छा से कार्य कर रही हो अथवा मानदेय पर कार्य कर रही हो, कार्य राजकीय स्थल, सार्वजनिक स्थल, निजी स्थल पर किया जा रहा हो और ऐसे सभी आचरण जो महिलाओं को निंदीत करते हैं, कार्य की परिस्थितियां जिनमें महिलाओं को कार्य करने में असुविधा होती हो, यह सब प्रतिबंधित किया गया है।
4. सभी राजकीय एवं लोक विभाग एवं अन्य संस्थान इस सम्बन्ध में आवश्यक नियमों की रचना करें, जिनके तहत दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले को उचित दण्ड की व्यवस्था हो। ये दिशा निर्देश निजी नियोजकों के मामले में स्थाई आदेश के तहत दिये गये माने जायेंगें।
5. कार्यस्थल पर महिलाओं के उचित आराम की व्यवस्था, ऐसा कार्य परिवेश जो स्वच्छ परिवेश हो, ऐसे परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिये, जिससे किसी कार्य में महिला को यह अनुभूति न हो कि वह कार्य करने के मामले में महिला होने के कारण असुविधाजनक स्थिति में है।
6. कार्यशील महिला द्वारा इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत करने पर संभावित शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था की गई है और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का दायित्व नियोजक पर डाला गया है और यदि उस कार्यवाही में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय या पुलिस में कार्यवाही करना आवश्यक हो तो उक्त कार्यवाही करने का दायित्व भी नियोजक पर रखा गया है।
7. ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिये एक कमैटी का गठन किया जायेगा और उसे कमैटी की अध्यक्ष महिला होगी और उस कमैटी के आधे सदस्य आवश्यक रूप से महिलाएं ही होंगी तथा उसे कमेटी में तृतीय पक्षकार या एन0जी0ओ0 का सदस्य अथवा ऐसी किसी संस्था का सदस्य जो महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के मामले में कार्यशील हो, रखे जायेंगें।

उक्त कमैटी वार्षिक रूप से राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। कर्मकारों की बैठक में यौन उत्पीड़न के मामले उठाने का अधिकार दिया गया है, जो बैठक नियोजक एवं कर्मकारों के बीच होती है कि महिला कर्मकारों को उनके इन अधिकारों बाबत जानकारी देने के लिये यह आवश्यक किया गया है कि इन सब दिशा निर्देशों को प्रचार प्रसार किया जाये। यदि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न कार्यरत सहयोगी के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो ऐसे मामलों में भी नियोजक का यह दायित्व रखा गया है कि ऐसे मामले में भी नियोजक का यह दायित्व रखा गया है कि ऐसे मामले में भी वह पीड़ित महिला को ऐसे यौन उत्पीडन से बचाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये। ये सब दिशा निर्देश मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिये गये अधिकारों के अलावा है।

इसके साथ कार्यशील महिला को आवश्यक मातृत्व आवकाश 180 दिवस मातृत्व सुरक्षा का प्रावधान भी विधि में है। कार्यशील महिलाओं के छोटे बच्चों के लिये उनके कार्य स्थल पर देखभाल, रख रखाव की उचित व्यवस्था के लिये नियोजक द्वारा साधन उपलब्ध कराये जावें। पति को भी 15 दिन का अवकाश दिया जाये।

उचित मामलों में शिकायत प्राप्त होने पर मानवाधिकार आयोग अथवा महिला आयोग के द्वारा पीड़ित महिला को आवश्यक अनुतोष दिलाने का प्रावधान किया गया है। परित्यक्ता अथवा विधवा महिलाओं को राजकीय सेवा में प्राथमिकता देने का भी प्रावधान है। इस हेतु अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी गई है। उपेक्षित वृद्ध महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा माहवारी पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। पेंशन की राशि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जाती है। काम–काजी महिलाओं को आयकर में भी विशेष छूट प्राप्त है। महिला के उत्थान एवं कल्याण के लिये समाज कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग एवं महिला विकास अभिकरण, आवश्यक भूमिका निभाता है। आवश्यक मामलों में महिला विकास अभिकरण अथवा मुख्यालय पर स्थित विधिक सेवा समिति से सम्पर्क कर उचित मामलों में अनुतोष, राहत प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :

1. https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Women%E2%80%99s%20Rights%20in%20India%20complete_compressed.pdf
2. https://www.womenlawsindia.com/legal-awareness/women-rights-in-india/